निर्णय वइजलास श्री दीपक मित्तल(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :– 141/20
दायरा दिनांक :– 04.11.2020
निर्णय दिनांक :– 11.9.23

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा
2. रत्तीराम पुत्र कैदार लाल जाति बैरवा
3. शीला पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
4. बिछुडी पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
5. नट्टी बाई पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
6. कालू लाल पुत्र कैदार लाल जाति बैरवा
निवासीगण नई बस्ती खेडी छापर तहसील व जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. आशादेवी पत्नी श्री मोहन लाल जाति बैरवा निवासी कोटा रोड गजनपुरा तहसील व जिला बारां
2. मधु बाई पत्नी श्री रघुवीर जाति नायक निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0

निर्णय दिनांक :– 11.9.23

अभिभाषक उपस्थित :– 1. श्री जितेन्द्र नागर – वादी
2. हेमराज बैरवा – प्रतिवादी

अभिभाषक वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53 आर0टी0एक्ट0 विरूद्ध प्रतिवादीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया। कि ग्राम हरिपुरा पटवार हल्का बटावदा त[illegible] जिला बारां में स्थित आराजियात वर्तमान खाता नं0 125 पुराना 120 में [illegible] 140 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 420 रकबा 0.60, ख0नं0 438 रकबा 0.65 है0, [illegible] 518 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 519

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:14 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

रकबा 0.61 है0 कुल किता 5 रकबा 3.40 है0 स्थित है। जो वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसे वाद पत्र में आगे विवादित आराजियात के नाम से संबोधित किया गया है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजियात में वादी क्रम 1 का हिस्सा 1/4, प्रतिवादी क्रमांक 2 ता 6 प्रत्येक का हिस्सा 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, 1/20, एवं प्रतिवादी क्रमांक 1 आशादेवी का हिस्सा 3/16 एवं प्रतिवादी क्रमांक 2 का हिस्सा 5/16 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त आराजियात का बांहमी बंटवारा वादी क्रमांक 1 व वादी क्रमाक 2 ता 6 के पिता केदार लाल व पूर्व खातेदार घनश्याम व जानकी बाई पिसरान लटूरलाल के बीच अर्सा करीबन 30 वर्ष पूर्व हो चुका है। जिसमें वादीगण को अपने 1/2 हिस्से के रूप में ख0नं0 518 रकबा 1.12 है0, ख0नं0 519 रकबा 0.61 है0 भूमि प्राप्त हुयी जिस आराजियात वादीगण ने ट्यूबवेल लगवा कर विघुत कनेक्शन लेकर बाद बंटवारे से वादीगण अपने को प्राप्त हुयी आराजी पर काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी काबिज काश्त है तथा शेष आराजियात पूर्व खातेदार धनश्याम व जानकी बाई पिसरान लटूर लाल को बंटवारे प्राप्त हुयी थी जिसे बाद बंटवारे खातेदार धनश्याम द्वारा अपने हिस्से की आराजियात का बैचान प्रतिवादी क्रमांक 1 इसी प्रकार जानकी बाई द्वारा अपने खातेदारी की आराजियात बैचान प्रतिवादी क्रमांक 2 को किया गया तथा पूर्व खातेदारान धनश्याम व जानकी बाई द्वारा प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 को आराजियात की खं0 नं0 140 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 420 रकबा 0.60, ख0नं0 438 रकबा 0.65 है0 पर कब्जा दिया गया है तब से प्रतिवादीगण क्रमांक 1 व 2 उसी जमीन पर काबिज काश्त है।

वादीगण व प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 अपने अपने हिस्से की आराजियात पर बिना किसी बाधा के प्रथक प्रथक काबिज काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में भी इसी प्रकार काबिज काश्त हैं किन्तु संयुक्त खाता होने से आराजियात के भू–सुधार में अनावश्यक परेशानी होती है। आराजियात का बंटवारा न होने से हिस्सा निश्चित नहीं है इस कारण उसमें भू–सुधार नहीं किया जा सकता । आराजियात के सही उपयोग एवं सही काश्त व्यवस्था के लिए अपने हिस्से का भू–सुधार किया जाना, उसमें खाद, बीच सिंचाई आदि की व्यवस्था किया जाना तथा आधुनिक कृषि किया जाना आवश्यक है। साथ ही संयुक्त खाता रहने से किसी भी पक्षकार द्वारा आराजी को रहन बेचान करने की असुविधा रहती है तथा खाता संयुक्त रहने से यह आशंका बनी रहती है। कि कोई भी पक्ष बिना विभाजन के आराजियात को रहन बेचान करके दूसरे पक्ष को परेशानी [illegible] सकता है। ऐसी स्थिति में संयुक्त खाता रखा जाना संभव नहीं है। इसलिए [illegible] पूर्व में हुये बंटवारा अनुसार अपने को बंटवारे में प्राप्त हुयी आराजियात ख0नं0 518 की रकबा 1.12 है0, ख0नं0 519 की

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

रकबा 0.61 है0 से वादीगण स्वयं को खातेदार कृषक घोषित करवाने एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के वैधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

राजस्व रिकार्ड में वादीगण ने प्रतिवादी कमांक 1 व 2 से पूर्व में हुये बंटवारे अनुसार व कब्जा काश्त अनुसार उक्त आराजियात को अपने अपने खाते दर्ज करवाने हेतु कई बार निवेदन किया किन्तु प्रतिवादीगण कमांक 1 व 2 ने वादीगण का सहयोग नहीं किया तथा इस कारण उक्त आराजियात वादीगण व प्रतिवादीगण कमांक 1 व 2 के प्रथक–प्रथक राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हो सकी तथा अभी हाल में वादीगण के हिस्से व कब्जे काश्त की आराजियात ख0नं0 518 व 519 को भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां द्वारा वृत परियोजना दांयी मुख्य नहर आर0एम0सी0 हेतु अधिग्रहण हेतु नोटिस भिजवाये गये है, जिसमें प्रतिवादी कमांक 1 व 2 का नाम भी दर्ज है। इसलिये वादीगण को बंटवारे में प्राप्त हुयी आराजियात को प्रथक से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना आवश्यक हो गया है। इस बाबत प्रतिवादीगण से कहा तो वह इन्कारी हो गये प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वह वादीगण को बंटवारे में प्राप्त हुयी आराजियात से बेदखल कर देंगें तथा रहन बेचान या अन्य प्रकार से मुन्तकिल कर वादीगण को हक हकूको को नुकसान पहुंचा कर रहेंगें। इस बाबत दिनांक 20.10.2020 को प्रतिवादी कमांक 1 व 2 द्वारा वादीगण को खुली चुनौती दी गई है तथा धमकी दी गई है कि वे वादीगण को बैदखल करके रहेंगें। ऐसी स्थिति में वादीगण को अपने कानूनी हकूको से वंचित हो जाने की पूरी पूरी आंशका उत्पन्न हो गई है। साथ ही हिस्से आराजियात की काश्त व उपयोग में भी बाधा पहुंचेगी अतः वादीगण उक्त आराजी का बंटवारा कराने व स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त कर सकने के वेधानिक अधिकारी एवं नालिशी है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी गण की और से जवाब दावा पेश हुआ। वादीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम हरीपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 125, नकल नोटिस भूमि अवाप्ति अधिकारी बारां द्वारा ख0नं0 519 व 518 पेश किया गया।

अभिभाषक गण द्वारा वादीगण एवं प्रतिवादी गण की उप0 में न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा इस आशय का पेश किया गया कि उक्त वाद में वादी गण एवं प्रतिवादी गण के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। राजीनामानुसार वाके ग्राम हरिपुरा की आराजी ख0नं0 518 रकबा 1.12 है0 व ख0नं0 519 रकबा 0.61 है0 वादी गण की रहेगी तथा ख0नं0 140 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.65 है0 प्रतिवादी कम 2 मध्य के हिस्से में रहेगी तथा ख0नं0 420 रकबा 0.60 है0 प्रतिवादी कम 1 आशादेवी के हिस्से में रहेगी। मुताबिक राजीनामा अनुसार वादीगण व प्रतिवादी गण का हिस्सा पृथक पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

अभिभाषक उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली व रिकार्ड व राजीनामा का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम हरिपुरा सम्वत 2070–73 खाता सं0 125 के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण के शामलाती खातेदारी में दर्ज हैं वादीगण एवं प्रतिवादी गण विवादित आराजी का मुताबिक राजीनामा हिस्से एवं कब्जे अनुसार पृथक –पृथक विभाजन कराना चाहते है। अभिभाषक उभय पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया गया। प्रस्तुत राजीनामा अभिभाषक उभय पक्षकारान को पढ कर सुनाया गया। पक्षकारान द्वारा राजीनामा पढकर, सुनकर एवं समझने के बाद स्वीकार किया गया एवं अपनी सहमति जाहिर की गई। जिनकी पहचान उनके अभिभाषक गण द्वारा की गई। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान की सहमति व सन्तुष्टि के आधार पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:–<u>कियात्मक आदेशः–</u>

उपरोक्त विवेचनानुसार वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हरीपुरा तहसील बारां के ख0नं0 518 रकबा 1.12 है0 व ख0नं0 519 रकबा 0.61 है0 वादी गण की रहेगी तथा ख0नं0 140 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.65 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 मधु के हिस्से में तथा ख0नं0 420 रकबा 0.60 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 आशादेवी के हिस्से में रहेगी उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण का हिस्सा पृथक कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दीपक मित्तल)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी बारां
उपखण्ड अधिकारी बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

संख्या 141/20	धारा अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट,	निर्णय दिनांक :
समक्ष : श्री दीपक मित्तल आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी:– श्री जितेन्द्र नागर एड0	अभिभाषक प्रतिवादी:– श्री हेमराज बैरवा	

वाद शीर्षक

उनवान

1. ओमप्रकाश पुत्र लटूरलाल जाति बैरवा
2. रत्तीराम पुत्र कैदार लाल जाति बैरवा
3. शीला पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
4. बिछुडी पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
5. नट्टी बाई पुत्री कैदार लाल जाति बैरवा
6. कालू लाल पुत्र कैदार लाल जाति बैरवा
   निवासीगण नई बस्ती खेडी छापर तहसील व जिला बारां राजस्थान

बनाम

1. आशादेवी पत्नी श्री मोहन लाल जाति बैरवा निवासी कोटा रोड गजनपुरा तहसील व जिला बारां
2. मधु बाई पत्नी श्री रघुवीर जाति नायक निवासी हरिपुरा तहसील व जिला बारां
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार बारां, जिला बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद में यह आदेशित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम हरीपुरा तहसील बारां के ख0नं0 518 रकबा 1.12 है0 व ख0नं0 519 रकबा 0.61 है0 वादी गण की रहेगी तथा ख0नं0 140 रकबा 0.42 है0, ख0नं0 438 रकबा 0.65 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 2 मधु के हिस्से में तथा ख0नं0 420 रकबा 0.60 है0 भूमि प्रतिवादी क्रम 1 आशादेवी के हिस्से में रहेगी उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादी गण का हिस्सा पृथक कर पृथक से राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश तहसीलदार बारां को दिये जाते है।

साथ ही मियमानुसार ..... रू0 का व्ययानुतोष ..... द्वारा ..... को प्रदान किया जाए।
उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक ..... को निर्गत किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.15 17:00:14 IST
Reason: SelfAttested

क्र.सं.	व्यय मद	वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5.	पारिश्रमिक अभिभाषक		
6.	व्यय साक्षी		
7.	फीस कमिश्नर		

Scanned with CamScanner